

दिनांक :- 23-04-2020

कॉलेज का नाम :- मास्पाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डॉ. फारूक आज़मा (अतिथि शिक्षक)

स्नातक :- द्वितीय स्तर कला

विषय :- इतिहास प्रतिष्ठा

पत्र :- चतुर्थ

रुकाई :- दो

अध्याय :- द्वितीय अफ़ग़ान युद्ध (1856)

26 जून, 1843 को सम्राट ने सीमा शुल्क को करे कर 36 घोषणा द्वारा जारी की। इस समय से लेकर 1930 तक चीन अपने इच्छानुसार सीमा-शुल्क को करी में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्रता नहीं था।

1842 में विदेशियों से सीधे संबंध रखने के लिए उपयुक्त बन्दरगाहों पर एक महत्व पूर्व अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसे नाबो-ताई कहते थे। उसका अधिकार क्षेत्र दो या दो से अधिक किंदूशी व्यापारिक संस्थानों पर था। सीमा शुल्क कार्यालय का

का निरीक्षण भी उसके अधीन ही था। चीनी प्रशासन के कुछ सीमा शुल्क पदाधिकारी अर्थात् और अष्ट थे तथा विदेशी व्यापारी इन अधिकारियों की सहायता से सीमा शुल्क देने से बचने की कोशिश करते थे। अतः एक विविष्ट व्यवस्था का जन्म हुआ। ताओ-ताई और तीन संधिगत राष्ट्रों (इंग्लैंड, अमेरिका एवं फ्रांस) के बीच 29 जून, 1854 को एक समझौता हुआ जिसके अनुसार सीमा शुल्क संबंधी विदेशी निरीक्षणालय की स्थापना हुई। इस निरीक्षणालय के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार इन तीन देशों के वाणिज्य दूतों को दिया गया। सभी प्रकार के आयात-निर्यात पर पश्चिम के व्यापारियों का नियंत्रण हो गया। फलतः चीनी में अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों ओर के अधिकारियों में अनेक मतभेद थे।

(2) राज्यक्षेत्रातीत अधिकार - विदेशी व्यापारियों तथा नाविकों ने संधि के अंतर्गत राज्यक्षेत्रातीत अधिकारों का दुरुपयोग

किया। इस अधिकार के अंतर्गत पश्चिमी देशों का यह नैतिक कर्तव्य था कि वे अपने-अपने संस्थानों में उद्घुण्ड तथा उपद्रवी नाविकों में संधि के अंतर्गत राज्यद्वैतातीत अधिकारों का दुरुपयोग किया। इस अधिकार के अंतर्गत पश्चिमी देशों का यह नैतिक कर्तव्य था कि वे अपने-अपने संस्थानों में उद्घुण्ड तथा उपद्रवी नाविकों और बेईमान व्यापारियों को दंड देने के लिए न्यायालय और कारागार की व्यवस्था करते। परंतु उन्होंने इसकी उपेक्षा की। यद्यपि 1843 में ब्रिटिश संसद ने कानून पारित करके ब्रिटेन का न्यायिक अधिकार-क्षेत्र विदेशी भूमि तक बढ़ा दिया था, तथापि इसका कोई व्यावहारिक रूप नहीं था। अन्य देशों ने तो ऐसा भी नहीं किया। फलतः चीन में अपराध कभी विदेशी स्वच्छन्द बूमते थे जो चीनी प्रशासन के लिए सर दफ्त थे।

(3) अफीम का व्यापार - 1842 के बाद चीन में अफीम का व्यापार बढ़ गया। चीनी कानून के अनुसार अफीम के आयात पर

पूर्ण प्रतिबन्ध था। परंतु पश्चिम के व्यापारी ¹⁸⁴⁰ 1859 के बीच
चीन में अफीम का वार्षिक आयात 300 प्रतिशत बढ़ गया था।
लंदन के प्रमुख समाचार पत्र 'दि टाइम्स' के संपादकाने
लिखा था। आजकल अफीम का व्यापार चीन के सभी नगरों
में इतना उन्मुक्त तथा अबाध है जितना गुड फ्राइडे को लंदन
की सड़कों पर गर्म-गर्म बन्द शैली (डबल ब्रीड) का व्यापार
मैं तु सरकार इस अफीम व्यापार से चिन्तित थी। चीन की
आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी।

(4) संधियों की पुनरावृत्ति की मांग - शेंघाई तथा अन्य उन्मुक्त
बन्दरगाहों पर विदेशी व्यापार का विकास तेजी से हुआ।
लेकिन अल्प समय में ही यह स्पष्ट हो गया कि चीन और
संधिगत राष्ट्रों के संबंध सद्भावपूर्ण कदापि नहीं हैं। अमेरिका
ने हुई संधि की पुनरावृत्ति 12 वर्ष पश्चात् लेनी थी। ब्रिटिश
सरकार को बीग की संधि द्वारा सर्वाधिक प्रियराष्ट्र को जी

विशेष सुविधा प्राप्त हुई थी। उसी आधार पर ब्रिटेन ने 1854 में चीनी सरकार को स्पष्ट कर दिया कि नानकिंग की संधि पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अंग्रेज व्यापारी अफीम के व्यापार को वैध करना चाहते थे। अतः पश्चिमी राष्ट्र संधियों का नवीनीकरण करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। चाहे इसके लिए उन्हें शक्ति-प्रदर्शन ही क्यों न करना पड़े।

5) कैथोलिक धर्म प्रचारक की हत्या:- 1856 में कोंगांगसी में फ्रांसीसी कैथोलिक धर्म प्रचारक आर्बे-चैपडोनेन की बन्दूक बना लिया गया उस पर विद्रोहात्मक उत्तेजित कार्रवाई करने का आदेश लगाया गया। उसे फरवरी, 1856 में मृत्यु दंड दिया गया। जब वह खबर फैलन पहुँची, तब इससे पश्चिमी देशों को व्यापारिक रीति में बड़ी उत्तेजन फैल गई। उन्होंने चीन के इस कार्य को अपने राज्यक्षेत्राती अधिकार की अवज्ञा बतलाया। इस लिए इस घटना के तुरंत बाद फ्रांस ने इंग्लैंड के शक्ति प्रयोग में सहायता

देने की तत्परता दिखलाई।

(6) लोचा शैरी कांड - द्वितीय अफीम युद्ध का तत्कालिक कारण लोचा शैरी (Locha Arrow) नामक जहाज पर चीनी अधिकारियों द्वारा कुछ समुद्री चस्मूआ (Pirates) को गिरफ्तार कर लिया जाना था। इस जहाज का मालिक हांग कांग में रहने वाला एक चीनी मल्लाह था जो अपने आपको ब्रिटिश नागरिक कहता था। पश्चिम में व्यापारी अपनी व्यापारिक सुविधा के लिए अनेक चीनी जहाजों का प्रयोग करते थे तथा कैप्टन और अन्य बन्दरगाहों पर आने-जाने के लिए अनेक चीनी जहाजों का प्रयोग करते थे। व्यापार-पत्र देते थे। चीनी अधिकारियों ने इस व्यवस्था की अनुमति दे दी थी। धीरे-धीरे इस अनुमति का दुरुपयोग किया जाने लगा। कुछ जहाज ब्रिटिश पताका की सुरक्षा में तत्पर व्यापार (Smuggling) करने लगे। बहुत से जहाज बिना अनुमति के ही विदेशी राष्ट्री की पताका रखने लगे। चीनी अधिकारियों

के लिए पहचान करना कठिन हो गया है कि कौन-सा देश
जहाज विदेशी पताका का अवैध उपयोग कर रहा है और कौनसा
18 अक्टूबर, 1856 को जब लॉरी रेरी कैप्टन में लॉन्ग डाले
रेड्डा था, चीनी पुलिस दल ने उस पर छापा मारकर चालक
मंडल (Crew) के 14 सदस्यों में से 12 को समुद्री लूट
(Piracy) के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश पताका
वाणिज्य दूत एड्विन माक्स ने कड़ी चालकों की रिपोर्ट की और
मांग की उसका कहना था कि रेरी जहाज हांग-कांग में पंजी
कृत हुआ था और उस पर ब्रिटिश पताका लगी हुई थी। जिसे
चीनी अधिकारियों ने बिना अनुमति के उतार कर संपूर्ण ब्रिटिश
पताका लगी हुई थी जिसे चीनी अनुमति की हानि कर संपूर्ण ब्रिटिश
राज्य का अपमान किया। वाणिज्य अधिकार सर जॉन वाउरिंग ने
माक्स का समर्थन किया और चीनी सरकार से क्षमा-प्रार्थना तथा
वाणिज्य के लिए समुचित आवासन की मांग की।